दिनांक 21.04.2015 को 3.30 बजे अपराह्न में कृषि विभाग, विकास भवन, पटना के सभा कक्ष में कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि एवं सम्बद्ध विषयों पर उप समिति की बैठक की कार्यवाही :–

1. उपस्थिति– पंजी में संघारित।
2. सहायक महाप्रबंधक, बिहार राज्यस्तरीय बैकर्स समिति, संयोजक भारतीय स्टेट बैंक, पटना द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का अभिनन्दन किया गया। उन्होने बतलाया कि एस0एल0बी0सी0 को किसान क्रेडिट कार्ड/के0सी0सी ऋण/अन्य Allied activity (Dairy,Fishery, Poultry) अन्तर्गत ऋण वितरण का अद्यतन प्रतिवेदन बैकों से प्राप्त नहीं हुआ है। अगले सप्ताह में आकड़े प्राप्त हाने की सूचना दी गई। उन्होनें मई माह के तीसरे सप्ताह में एस0एल0बी0सी0 की बैठक आयोजित हाने की सूचना दी।
3. राज्य में रबी 2014–15 में असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि/शीतलहर से गेहूँ, रबी मक्का/चना/मसूर/अन्य मौसमी फसल/बहुवर्षीय फसलों की व्यापक क्षति हुई है। सभी जिला पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इन फसलों के अन्तर्गत 33 प्रतिशत से अधिक प्रभावित फसल क्षेत्र का कुल रकबा 1364667.14 हेक्टेयर है तथा प्रभावित कृषकों की संख्या–1992227 है। जिलावार/फसलवार क्षति प्रतिवेदन उपस्थित बैंक/नवार्ड के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया।
4. भारत सरकार से प्राप्त पत्र एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित क्षेत्र में फसलों की क्षति की स्थिति में अल्पकालीन फसल ऋण (Short term Crop loan) को मध्यकालीन ऋण। (Medium term loan) में पुनर्गठित अवधि (restructured period) 3 से 5 वर्ष है। परन्तु Severe Calamity की स्थिति में इसे 7 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। फसल सर्वेक्षण के उपरान्त तैयार की गई सूची के अनुसार सभी इच्छुक कृषकों के अल्पकालीन फसल ऋण को मध्यकालीन ऋण में पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में एस0एल0बी0सी0 के माध्यम से सभी बैंकों के प्रमुख/सभी अग्रणी जिला प्रबंधक को पत्र निर्गत का निर्णय लिया गया।

कार्रवाई–एस0एल0बी0सी0

5. कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा प्राकृतिक आपदा के कारण 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसल क्षेत्र क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेश के अनुसार फसल ऋण को पुनगठित करने की जानकारी दी गई। कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार द्वारा भारत सरकार की घोषणा के अनुसार रबी 2014–15 में 33 प्रतिशत अथवा इससे अधिक फसल क्षति होने की स्थिति में अल्पकालीन फसल ऋण को मध्यकालीन ऋण में पुर्नगठित करने पर बल दिया गया। साथ ही इस संबंध में महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक, पटना को अनुरोध पत्र भेजने का निर्णय लिया गया।

कार्रवाई–सांख्यिकी कोषांग, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

6. मुख्य महाप्रबंधक, नवार्ड द्वारा बतलाया गया कि असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि/शीतलहर प्रभावित क्षेत्रों में कितने व्यक्तियों ने बैंक से ऋण लिया है, इसकी जानकारी प्राप्त कर ली जाय तथा उन्हें सहायता प्रदान की जाय। उन्होनें बिहार राज्यस्तरीय बैकर्स कमिटी के माध्यम से 33 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र के लिए Empty Conversion Loan करने तथा Fresh Loan देने के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति निर्गत करने का सुझाव दिया।

कार्रवाई–एस0एल0बी0सी0

7. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा किसानवार फसल क्षति का सर्वेक्षण कार्यपूर्ण होने तथा शीघ्र प्रभावित कृषकों की सूची On Line जारी करने की जानकारी दी गई। उन्होने प्राकृतिक आपदा असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि के कारण रबी 2014–15 में हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान की राशि का भुगतान आर0टी0जी0एस0 (RTGS)/ एकाउन्ट पेयी चेक (Account Payee Cheque) के माध्यम से

किसानों को करने की जानकारी दी। नगद भुगतान वर्जित है। उपस्थित बैंक अधिकारियों द्वारा RTGS/एकाउंट पेयी चेक द्वारा कृषि इनपुट अनुदान की राशि कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया :–

(क) कृषक का बैंक खाता के अनुसार दर्ज पूरा नाम :

(ख) बैंक शाखा का नाम :

(ग) बैंक का IFSC कोड :

(घ) कृषक का बैंक खाता संख्या :

इस कार्य में सम्बन्धित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु बैंक अधिकारियों से अनुरोध किया गया।

कार्रवाई–एस0एल0बी0सी0

8. के0सी0सी0 आवेदनों एवं अन्य Allied activity (Dairy,Fishery, Poultry) अन्तर्गत आवेदनों के On Line सृजन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। सभी बैंकों में On Line आवेदनों की प्राप्ति हेतु Portal तैयार करने हेतु एस0एल0बी0सी0 को Cordinate करने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में बैंकों के राज्यस्तरीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित करने हेतु एस0एल0बी0सी0 से अनुरोध किया गया।

कार्रवाई–एस0एल0बी0सी0

9. सहायक महाप्रबंधक, बिहार राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति संयोजक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बतलाया गया कि Loan Orienting Software (L.O.S) कृषि के लिए लागू हो जाएगा। इसमें ऋण स्वीकृत होने के बाद ग्राहकों को SMS जायगा। L.O.S में क्या लंबित है, इस पर बैंक को मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

10. प्रत्येक बुधवार को बैंक शाखा के स्तर पर के0सी0सी0 कैम्प के आयोजन संबंधी प्रतिवेदन किसी भी बैंक से प्राप्त नहीं होने की सूचना सहायक महाप्रबंधक एस0एल0बी0सी0, पटना द्वारा दी गई। उन्होनें Portal में इसकी व्यवस्था करने पर बल दिया।

11. सहायक महाप्रबंधक, एस0एल0बी0सी0 द्वारा बतलाया गया कि वर्ष 2015–16 के लिए राज्य वार्षिक शाख योजना (State Annual Cardit Plan) अन्तर्गत 84000 करोड़ रूपया का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कृषि प्रक्षेत्र में 42500 करोड़ रूपया का लक्ष्य निर्धारित है।

12. मुख्य महाप्रबंधक, नवार्ड द्वारा राज्य में सहकारिता बैंक के सुढ़ढीकरण हेतु राजस्थान सरकार के प्रधान सचिव कोपरेशन से मार्ग दर्शन प्राप्त करने का सुझाव प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारिता बैंक पटना को दिया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारिता बैंक को सहकारिता बैंक के विकास के लिए एक Comprehentive Status paper तैयार करने तथा एक तिथि निर्धारित कर इसका प्रस्तुतीकरण करने का निदेश दिया गया। मुख्य महाप्रबंधक, नवार्ड द्वारा सहकारी बैंक के विकास हेतु आवश्यक सहयोग करने का आश्वासन दिया गया।

कार्रवाई–प्रबंधक निदेशक, बिहार राज्य सहकारिता, बैंक, पटना।

13. राज्य में Egg Laying Birds परियोजना अन्तर्गत अंडे के उत्पादन हेतु ऋण की स्वीकृति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अबतक नहीं करने पर चिन्ता व्यक्त की गई। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि द्वारा इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया।

कार्रवाई–सहायक महाप्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पटना।

14. मुख्य महाप्रबंधक, नवार्ड द्वारा Prompt Loan में 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subvention) राज्य के कृषकों को देने का अनुरोध किया गया। कृषि उत्पादन, आयुक्त द्वारा Prompt Loan में 2 प्रतिशत

तथा फसल ऋण में 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य के कृषकों को उपलब्ध कराने के संबंध में कार्रवाई करने की जानकारी दी गई। उन्होने कृषकों को SMS हिन्दी में भेजने तथा इसमें आवाज सुनाने की व्यवस्था करने पर बल दिया।

15. सहायक महाप्रबन्धक, एस0 एल0 बी0 सी0 द्वारा कृषकों को भुगतान हेतु फसल बीमा की लम्बित राशि अबतक विमुक्त नहीं होने की सूचना दी गई। बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा विगत कुछ वर्षों का 590 करोड़ रूपया बकाया राशि में 348 करोड़ रूपया बैंकों को उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई।

16. नाबार्ड के प्रतिनिधि द्वारा 34 Area Development Scheme तैयार करने की जानकारी दी गई। इस सम्बन्ध में प्रमुख बैंकों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आहूत करने पर बल दिया गया।

कार्रवाई–मुख्य महाप्रबंधक, नवार्ड

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैंक की कार्रवाई समाप्त की गई।

(विजय प्रकाश)
कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक : 2097 दिनांक : 06-5-15

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, नवार्ड, मौर्यालोक कम्पलेक्स ब्लॉक बी, चौथी एवं पांचवी तल्ला डाक बंगला रोड, पटना/सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति संयोजक भारतीय स्टेट बैंक, पाँचवां तल्ला, प० गाँधी मैदान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक : 2097 दिनांक : 06-5-15

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, डेयरी, बिहार, पटना/निदेशक, मत्स्यपालन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/उप महाप्रबंधक, कम्फेड, बिहार, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कम्पनी ऑफ इंडिया लि०, गैण्ड प्लाजा, फ्रेजर रोड, पटना/उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारिता बैंक, पटना/सयुंक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण–सह–प्रभारी पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण योजना, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, शिक्षा, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/उप कृषि निदेशक, सूचना, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक(सा०), बिहार, पटना/सिचाई विशेषज्ञ, पी0पी0एम0 कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक : 2097 दिनांक : 06-5-15

प्रतिलिपि : उप सचिव, वित्त(सांस्थिक वित्त) विभाग, ललित भवन, बेली रोड, पटना/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार।

देने के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति निर्गत करने का सुझाव दिया।

कार्रवाई–एस0एल0बी0सी0

7. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा किसानवार फसल क्षति का सर्वेक्षण कार्यपूर्ण होने तथा शीघ्र प्रभावित कृषकों की सूची On Line जारी करने की जानकारी दी गई। उन्होने प्राकृतिक आपदा असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि के कारण रबी 2014–15 में हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान की राशि का भुगतान आर0टी0जी0एस0 (RTGS)/ एकाउन्ट पेयी चेक (Account Payee Cheque) के माध्यम से